

प्रथम अपील संख्या 141/2020

करणीराम लोयल पुत्र खम्माराम, ग्रा0पो0 सिरियासर कलां, जिला झुंझुनू।  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 13.01.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.12.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 141/2020 पर दिनांक 18.12.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2210-2211 दिनांक 18.12.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू ने पत्रांक आरटीआई/2021/134 दिनांक 12.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी करणीराम लोयल पुत्र खम्माराम, निवासी सिरियासर कलां जिला झुंझुनू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सिरियासर कलां में स्थित चारागाह भूमि पर कितने अतिक्रमण है व अतिक्रमियों के खिलाफ कितनी कार्यवाही की गई की सूचना चाही गई थी जो नायब तहसीलदार मण्डावा के क्षेत्र में होने के कारण कार्यालय नायब तहसीलदार मण्डावा के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/26 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू के पत्रांक आरटीआई/2021/134 दिनांक 12.01.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी करणीराम लोयल पुत्र खम्माराम, निवासी सिरियासर कलां जिला झुंझुनू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सिरियासर कलां में स्थित चारागाह भूमि पर कितने अतिक्रमण है व अतिक्रमियों के खिलाफ कितनी कार्यवाही की गई की सूचना चाही गई थी जो नायब तहसीलदार मण्डावा के क्षेत्र में होने के कारण कार्यालय नायब तहसीलदार मण्डावा के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/26 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।  
आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )

जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू

